

# मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 28 नवम्बर, 1995 (अग्रहायण 7, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री गोकुल प्रसाद कतरौलिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (2) श्री बलराम सिंह तिलगाम, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

### 2. प्रश्नोत्तर

पूछकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री तनवंत सिंह कौर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार स्थानीय शासन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :-

- (क) क्रमांक 1276-अठारह-तीन-94, दिनांक 24 अक्टूबर, 1994
- (ख) क्रमांक-एफ-7-1-अठारह-तीन, दिनांक 31 मार्च, 1995
- (ग) क्रमांक-एफ-7-4-95-अठारह-तीन, दिनांक 19 मई, 1995
- (घ) क्रमांक-29-अठारह-तीन-95, दिनांक 16 जून, 1995

पटल पर रखेंगे।

### 4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, भोपाल एवं ग्वालियर के बाल संप्रेक्षण गृहों से कई बाल कैदियों के फरार होने की घटनाओं की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में जीवनोपयोगी दवाओं की कीमतों में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री थावरचंद गेहलोत, सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा कृषकों से सोयाबीन की खरीदों न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम वराना से रजत ग्राम मवई तक सड़क बनाये जाने ;
- (2) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम पनौठा में आयुर्वेदिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराकर भवन निर्माण कराये जाने ; तथा
- (3) श्री रामलखन सिंह (त्योधर), सदस्य, रीवा जिले के ग्राम मांगी, अमिलहवा तथा बसहत में हैण्ड पम्प लगाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

### 6. जनशक्ति नियोजन मंत्री का वक्तव्य

श्री नरेन्द्र नाहटा, जनशक्ति नियोजन मंत्री, दिनांक 18 सितम्बर, 1995 को पूछे गये अतारंकित प्रश्न संख्या 127 (क्रमांक 6562) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

### 7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत कटौती, विद्युत उत्पादन में कमी तथा किसानों को विद्युत आपूर्ति न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा (क्रमशः)।

